

राजस्थान सरकार

कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/सीएचसी-पीएचसी/16-17/35927-40 दिनांक : 05-10-2018

परियोजना अधिकारी
जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग,
उदयपुर।

विषय : सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेकरिया में मोर्चरी निर्माण कार्य की वित्तीय स्वीकृति।
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पत्रांक 34313-23 दिनांक 25.09.2018 द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेकरिया में मोर्चरी निर्माण कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति राशि रु. 15.00 लाख की स्वीकृति जारी की गई एवं कार्यकारी एजेन्सी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को नियुक्त किया गया।

कार्यकारी एजेन्सी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से तकनीकी स्वीकृति (TS/EE/UDR/134/2018-19/29.09.2018) प्राप्त होने से वित्तीय स्वीकृति राशि रु. 15.00 लाख की जारी की जाती है।

उपरोक्त कार्य हेतु राशि का व्यय वनबन्धु कल्याण योजना अन्तर्गत चिकित्सा कार्यक्रम हेतु प्राप्त राशि में से शेष रही में से होगा। यह राशि परियोजना अधिकारी, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग उदयपुर के पास उपलब्ध है।

शर्त:-

1. यदि स्वीकृत कार्य अन्य किसी योजना में स्वीकृत/सम्पादित किए जा चुके हो तो अविलम्ब इस विभाग को सूचित किया जावे। यदि कोई दोहरा व्यय होता है तो इसके लिए कार्यकारी एजेन्सी चिकित्सा विभाग की जिम्मेदार होगी।
2. राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं संशोधन 2013 तथा सामान्य लेखा एवं वित्तीय नियम की पालना सुनिश्चित करते हुए कार्य का सम्पादन गुणवत्तापूर्वक किया जावे।
3. राशि का उपयोग स्वीकृत कार्यों पर ही तकमीना के क्रम में जारी कार्यादेश एवं अन्य नियमानुसार राशि से अधिक व्यय इस विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं किया जावे।
4. स्वीकृत कार्यों का third party inspection के समय आवश्यक सूचनाएं कार्यकारी एजेन्सी द्वारा निरीक्षण दल को उपलब्ध करवाई जावेगी। निरीक्षण में पाई गई कमियों को दुरस्त/ठीक करने की जिम्मेदारी कार्यकारी एजेन्सी की होगी।
5. कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रगति पर एवं पूर्ण होने के पश्चात् फोटोग्राफ विभाग को प्रेषित किये जावे एवं स्वीकृत कार्य की geo-tagging कर soft copy में comm.tad@gmail.com पर प्रेषित कराना सुनिश्चित करावे।
6. कार्य पूर्ण होने पर उपयोगिता व कार्य पूर्णता प्रमाण-पत्र के साथ बचत राशि जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग को पुनः लौटाई जावे।
7. कार्य पूर्ण होने पर उपयोगिता/कार्यपूर्णता प्रमाण पत्र के साथ बचत राशि पुनः विभाग को लौटाई जावे।


भवदीय

(भवानी सिंह देथा).A.S
आयुक्त

कृ.पू.उ.

क्र. एफ 5/अभि./सीटीएडी/सीएचसी-पीएचसी/16-17/35927-40 दिनांक : 05-10-18
प्रतिलिपि -

1. विशिष्ट सचिव, मां.मंत्री महोदय, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
2. श्री प्रतापलाल गमेती, माननीय विधायक, गोगुन्दा, गांव मोटावीडा, ग्रा.पं. दादीया तहसील गोगुन्दा जिला उदयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
4. जिला कलक्टर, उदयपुर।
5. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राजस्थान जयपुर।
6. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उदयपुर।
7. अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उदयपुर।
8. वित्तीय सलाहकार कार्यालय हाजा।
9. निदेशक (मोनेटरिंग), कार्यालय हाजा।
10. कम्प्यूटर शाखा कार्यालय हाजा।
11. चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बेकरिया तहसील कोटडा जिला उदयपुर।
12. जिला सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, उदयपुर को प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ।
13. गार्ड फाईल।


 आयुक्त
 जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग
 उदयपुर (राज.)